झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– वि0प्रा0/कौ0–13/2024 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, राँची।

विषयः– **जिला विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग के निर्माण स्थल से गुजरने वाली 33KV विद्युत के तार एवं पोल को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए कुल प्राक्कलित राशि रू0 79,58,908/– (रू0 उनासी लाख अंठावन हजार नौ सौ आठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत हजारीबाग जिला में जिला विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग का निर्माण कार्य हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 13/योजना दिनांक 14.08.2024 द्वारा कुल रू0 12,29,29,000/– मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। JSBCCL का पत्रांक 1254 दिनांक 05.05.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि निर्माण स्थल के उपर से 33KV विद्युत का तार के गुजरने से कार्य में व्यवधान हो रहा है। इस निमित JSBCCL द्वारा उक्त विद्युत Line को पोल सहित अन्यत्र Shift करने के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपुर्ति प्रमण्डल, हजारीबाग का पत्रांक 1586 दिनांक 29.11.2025 से कुल रू0 79,58,908/– (रू0 उनासी लाख अंठावन हजार नौ सौ आठ) मात्र का तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की प्रति प्राप्त किया गया है। तत्पश्चात झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1254 दिनांक 05.05.2026 द्वारा उक्त प्राक्कलन के प्रति विभाग को समर्पित करते हुए राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में जिला विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग के निर्माण स्थल से गुजरने वाली 33KV विद्युत के तार एवं पोल को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए कुल प्राक्कलित राशि रू0 79,58,908/– (रू0 उनासी लाख अंठावन हजार नौ सौ आठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विषयांकित योजना के निमित राशि उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार–(Sub Scheme Head–01–राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण–जीर्णोद्धार)–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–ईकाई–45–निर्माण कार्य से की जायेगी।
   विपत्र कोड – 43S420202105060105 45

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा उक्त राशि कार्यकारी एजेन्सी GM-cum-CE, Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited, Electric Supply Area, Hazaribagh को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

4. विषयांकित कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की देख–रेख में कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विभाग को समर्पित प्राक्कलन के अनुसार विहित प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा।
5. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त कार्य पूर्ण कराते हुए कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
8. कार्य की प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण निदेशक, तकनीकी शिक्षा के द्वारा की जायगी।
9. विषयांकित कार्य हेतु राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं 2027–28 में की जायेगी।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0/कौ0–13/2024 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0/कौ0–13/2024/08/योजना /राँची, दिनांक– 23/06/2026
प्रतिलिपि :–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, हजारीबाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/विद्युत अधीक्षण अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड विद्युत आपूर्ति अंचल, हजारीबाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, हजारीबाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.6.26
सरकार के प्रधान सचिव